(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3689–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–9–2016 पारित द्वारा अपर तहसीलदार वृत सिरसोद प्रकरण कमांक 7/14–15/अ–70.

प्रेमसिंह पुत्र स्व. भगवान सिंह
निवासी ग्राम सिरसोद
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

बृजनारायण पुत्र लज्जाराम
निवासी ग्राम सिरसोद
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री अवधेश राजौरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.एस. यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार वृत सिरसोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिरसौद स्थित भूमि सर्वे कमांक 388 रकबा 0.420 हेक्टेयर उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है जिस पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/14–15/अ–70 दर्ज कर दिनांक 20–9–16 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने का आदेश

दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये और बिना साक्ष्य लिये आदेश पारित किया गया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विधिवत् जॉच किये बिना स्थल निरीक्षण किये आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम रूप से आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और वे अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर उनका अवैध कब्जा होना प्रमाणित कर सकते हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाया गया है। तहसीलदार को प्रकरण में अभी गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित करना है जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उसके द्वारा इस न्यायालय में गुणदोष पर उठाये गये आधार तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वृत सिरसोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर